



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 12, 2010/माघ 23, 1931

No. 67]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 12, 2010/MAGHA 23, 1931

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2010

सा.का.नि. 76(अ).—केंद्रीय सरकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 73 की उप-धारा (2) के खण्ड (ज), खण्ड (झ), खण्ड (ञ) और खण्ड (ड) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, धन शोधन निवारण (बैंककारी कम्पनियों, वित्तीय संस्थानों के ग्राहकों और मध्यवर्तियों के संव्यवहारों की प्रकृति और मूल्यांकों के अभिलेखों का अनुरक्षण, अनुरक्षण की प्रक्रिया और रीति तथा सूचना प्रस्तुत करने का समय और उनके ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और अनुरक्षण) नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन शोधन निवारण (बैंककारी कम्पनियों, वित्तीय संस्थानों के ग्राहकों और मध्यवर्तियों के संव्यवहारों की प्रकृति और मूल्यांकों के अभिलेखों का अनुरक्षण, अनुरक्षण की प्रक्रिया और रीति तथा सूचना प्रस्तुत करने का समय और उनके ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और अनुरक्षण) संशोधन नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. धन शोधन निवारण (बैंककारी कम्पनियों, वित्तीय संस्थानों के ग्राहकों और मध्यवर्तियों के संव्यवहारों की प्रकृति और मूल्यांकों के अभिलेखों का अनुरक्षण, अनुरक्षण की प्रक्रिया और रीति तथा सूचना प्रस्तुत करने का समय और उनके ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और अनुरक्षण) नियम, 2005 में,—

(क) नियम 3 के उप-नियम (1) में, "अभिलेख रखेंगे" शब्दों के स्थान पर, "सभी संव्यवहारों जिसके अंतर्गत अभिलेख भी हैं का अभिलेख रखेंगे" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) नियम 4 में "सूचना अंतर्विष्ट होगी" शब्दों के स्थान पर, "जिसके अंतर्गत व्यष्टिक संव्यवहार के पुनर्गठन को विनियामक द्वारा अनुज्ञात विनिर्दिष्ट सभी आवश्यक सूचना भी है अंतर्विष्ट होगी" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) नियम 5 के उप-नियम (1) में "हार्ड और साफ्ट कॉपियों में" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(घ) नियम 7 में,—

(i) उप-नियम (2) में, "नियम 3 में निर्दिष्ट" शब्दों के स्थान पर, "नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (क), (ख), (खक), (ग) और (घ) में निर्दिष्ट" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप-नियम (3) में, "नियम 3 में निर्दिष्ट" शब्दों के स्थान पर, "नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (क), (ख), (खक), (ग) और (घ) में निर्दिष्ट" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उप-नियम (4) में, "नियम 3 में निर्दिष्ट" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ड) नियम 9 के उप-नियम (1क) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा. अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण— इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए "हिताधिकारी स्वामी" से ऐसा प्राकृतिक व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी ग्राहक और/या व्यक्ति के अंतिम स्वामित्व या नियंत्रण में है जिसके निमित्त किसी संव्यवहार को संचालित करता है और जिसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति जो किसी न्यायिक व्यक्ति पर अंतिम रूप से प्रभावी नियंत्रण रखता है।"

[अधिसूचना सं. 7/2010-ई.एस./फा. सं. 6/8/2009]

एस. आर. मौणा, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम सं. सा.का.नि. 444(अ), तारीख 1 जुलाई, 2005 को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् संशोधन सं. सा.का.नि. 717(अ) तारीख 13 दिसम्बर, 2005 और सं. सा.का.नि. 389(अ) तारीख 24 मई, 2007 तथा सं. सा.का.नि. 816(अ) तारीख 12 नवम्बर, 2009 द्वारा किए गए।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2010

G.S.R. 76(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (h), clause (i), clause (j) and clause (k) of sub-section (2) of Section 73 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records of the Nature and Value of Transactions, the Procedure and Manner of Maintaining and Time for Furnishing Information and Verification and Maintenance of Records of the Identity of the Clients of the Banking Companies, Financial Institutions and Intermediaries) Rules, 2005, namely:—

1. (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records of the Nature and Value of Transactions, the Procedure and Manner of Maintaining and Time for Furnishing Information and Verification and Maintenance of Records of the Identity of the Clients of the Banking Companies, Financial Institutions and Intermediaries) Amendment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records of the Nature and Value of Transactions, the Procedure and Manner of Maintaining and Time for Furnishing Information and Verification and Maintenance of Records of the Identity of the Clients of the Banking Companies, Financial Institutions and Intermediaries) Rules, 2005,—

- (a) in rule 3, in sub-rule (1), for the words "shall maintain a record of" the words "shall maintain the record of all transactions including the record of" shall be substituted;
- (b) in rule 4, for the words "shall contain" the words "shall contain all necessary information specified by the Regulator to permit reconstruction of individual transaction, including" shall be substituted;
- (c) in rule 5, in sub-rule (1), the words "in hard and soft copies" shall be omitted;
- (d) in rule 7,—
 - (i) in sub-rule (2) for the words "referred to in rule 3" the words "referred to in clauses (A), (B), (BA), (C) and (D) of sub-rule (1) of rule 3" shall be substituted;
 - (ii) in sub-rule (3) for the words "referred to in rule 3" the words "referred to in clauses (A), (B), (BA), (C) and (D) of sub-rule (1) of rule 3" shall be substituted;
 - (iii) in sub-rule (4) the words "referred to in rule 3" shall be omitted.
- (e) in rule 9 in sub-rule (1A), the following Explanation shall be inserted, namely:—

"Explanation.—For the purposes of this sub-rule "beneficial owner" shall mean the natural person who ultimately owns or controls a client and or the person on whose behalf a transaction is being conducted, and includes a person who exercise ultimate effective control over a juridical person."

[Notification No. 7/2010-E.S. F. No. 6 8 2009-E.S.]

S. R. MEENA, Under Secy.

Note :—The principal rules were published *vide* No. G.S.R. 444(E), dated 1st July, 2005 and subsequently amended *vide* No. G.S.R. 717(E), dated 13th December, 2005 and No. G.S.R. 389(E), dated 24th May, 2007 and No. G.S.R. 816(E), dated 12th November, 2009.